

case no. 57A/2016

न्यायालय:- द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0  
(पीठासीन अधिकारी:-साजिद मोहम्मद)

व्यवहारवाद कमांक-57ए/2016

संस्थित दिनांक- 12.12.2014

Filling no- 235103005362014

01.	संतोष पुत्र बाबूलाल उम्र 65 साल जाति यादव निवासी:- ग्राम खाकलौन कृषक ग्राम कटाखेडा, तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0
.....वादी	
विरुद्ध	
01.	अजीत सिंह पुत्र शिवराज सिंह जाति यादव उम्र 55 साल
02.	जीवन सिंह पुत्र शिवराज जाति यादव उम्र 45 साल
03.	दयाराम उर्फ भैर्यन पुत्र शिवराज जाति यादव उम्र 43 साल
04.	शिशुपाल पुत्र शिवराज सिंह जाति यादव, उम्र 40 साल
05.	जयपाल सिंह पुत्र अजीत सिंह जाति यादव उम्र 22 साल
06.	महेन्द्र सिंह पुत्र जीवन सिंह जाति यादव उम्र 19 साल
07.	धनपाल सिंह पुत्र दयाराम सिंह जाति यादव उम्र 18 साल
समस्त निवासीगण:- कटा खेडा, तहसील चन्देरी जिला अशोकनगर म0प्र0	
.....प्रतिवादीगण	
08.	मध्य प्रदेश शासन द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला अशोकनगर
.....फार्मल प्रतिवादी	

वादी द्वारा	:- श्री दीपक श्रीवास्तव अधि०।
प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 7 द्वारा	:- श्री के.एन.भार्गव अधि०।
प्रतिवादी क्र० 8 शासन	:- एकपक्षीय।

-----:: / / निर्णय / / ::-----

**{आज दिनांक:- 24.10.2017 को घोषित किया गया}**

**01—** यह दावा वादी की ओर से ग्राम कटाखेडा तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर में स्थित भूमि सर्वे क्र० 7/1 रकबा 1.672 है० भूमि (जिसे आगामी पदों में सुविधा की दृष्टि से विवादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया जावेगा) के स्वत्व, आधिपत्य एवं प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि में अवैध रूप से हस्तक्षेप करने से निषेधित करने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 7 की ओर से प्रतिवादा प्रस्तुत करते हुए ग्राम कटाखेडा में स्थित भूमि सर्वे क्र० 8/1 रकबा 1.610 है० भूमि के स्वत्व, आधिपत्य हेतु प्रस्तुत किया है।

**02—** वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम कटाखेडा तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर में स्थित भूमि सर्वे क्र० 7/1 रकबा 1.672 है० भूमि वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि है जिसे अक्ष में लाल स्याही से दर्शाया गया है। वादग्रस्त भूमि के एक तरफ नदी तथा एक तरफ नाला होकर उक्त भूमि सिंचित है जिससे प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 7 का कोई संबंध नहीं है। वादी ने जब से होश संभाला है तब से उक्त भूमि पर कृषि कार्य करता चला आ रहा है और वर्ष 2010 में वादी का शासकीय बटवारा भी हो चुका है। प्रतिवादीगण वादी की भूमि पर जबरन कब्जा करने को अमादा हो रहे हैं और आए दिन प्रार्थी एवं उसके परिवार वालों के साथ झगडा फसाद कर रहे हैं। प्रतिवादीगण आपराधिक प्रकृति के व्यक्ति हैं दादागिरी से उक्त भूमि पर कब्जा करने एवं फसल काटने को अमादा हो रहे हैं। प्रकरण में म०प्र० शासन को औपचारिक पक्षकार बनाया है और शासन के विरुद्ध कोई सहायता नहीं चाही है। वादी की ओर से वाद का उचित मूल्यांकन कर यह वाद स्वत्व, आधिपत्य एवं प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि में अवैध रूप से हस्तक्षेप करने से निषेधित करने हेतु प्रस्तुत किया है।

**03—** प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 7 की ओर से जबाब दावे में व्यक्त किया कि ग्राम कटाखेडा तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर में स्थित भूमि सर्वे क्र० 7/1 रकबा 1.672 है० भूमि वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि है अथवा नहीं, इसकी जानकारी प्रतिवादीगण को नहीं है। वादी ने व्यर्थ ही उक्त भूमि को वादग्रस्त भूमि बनाया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर न तो कब्जा किया गया है और न कब्जा करने अमादा है। प्रतिवादीगण को स्वयं के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि सर्वे

क० 8/1 रकबा 1.610 है० एवं 15/2 रकबा 2.545 है० भूमि का दिनांक 20.10.14 को सीमांकन कराया था तथा मौके पर राजस्व अधिकारीयो ने सीमा चिन्ह भी अंकित किये थे, उसी भूमि पर प्रतिवादीगण काबिज होकर खेती कर रहे हैं। वादी स्वयं प्रतिवादीगण के स्वामित्व की भूमि सर्वे क० 8/1 रकबा 1.610 है० भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। वादी ने वाद का उचित मूल्यांकन नहीं किया है। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत दावा सब्यय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

**04—** प्रतिवादी क० 1 लगायत 7 की ओर से प्रतिदावा प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया है कि ग्राम कटाखेडा तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क० 8/1 रकबा 1.610 है० भूमि प्रतिवादी क० 1 लगायत 4 के स्वत्व स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि है जिसे प्रतिवादीगण ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर क्रय किया था। दिनांक 28.11.2014 को प्रतिवादीगण अपने ट्रेक्टर से अपनी भूमि सर्वे क० 8/1 जोत रहे थे, वादी पहाडा सिंह, सोबरन सिंह, इन्दर सिंह यादव निवासी खाकलोन आए और खेत जोतने से मना करने लगे और गाली गलौच करने लगे। वादी सर्वे क० 7/1 की आड में प्रतिवादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि सर्वे क० 8/1 रकबा 1.610 है० पर कब्जा करना चाहते हैं। अतः प्रतिदावा स्वीकार कर सर्वे क० 8/1 रकबा 1.610 है० भूमि प्रतिवादी क० 1 लगायत 4 के स्वत्व स्वामित्व की घोषित कराये जाने हेतु एवं वादी उक्त भूमि में किसी भी प्रकार के बाधा पहुँचाये जाने से निषेधित करने हेतु यह प्रतिदावा प्रस्तुत किया है।

**05—** वादी की ओर से प्रतिवादी क० 1 लगायत 7 की ओर से प्रस्तुत प्रतिदावा का जबाब प्रस्तुत करते हुए समस्त प्रतिकूल अभिवचनो से इंकार किया गया है और व्यक्त किया कि ग्राम कटाखेडा में स्थित भूमि सर्वे क० 8/1 रकबा 1.610 है० भूमि प्रतिवादीगण ने कब क्रय कर कब्जा प्राप्त किया यह स्वयं प्रतिवादीगण सिद्ध करें। उक्त भूमि के संबंध में कोई विवाद नहीं है। प्रतिवादीगण ने गलत सीमाओ का उल्लेख किया है। दिनांक 28.11.14 को प्रतिवादीगण उनके ट्रेक्टर से उनकी भूमि सर्वे क० 8/1 रकबा 1.610 है० भूमि को नहीं जोत रहे थे बल्कि वादी के स्वामित्व की भूमि सर्वे क० 7/1 पर कब्जा करने व जोतने पर अमादा हो गये थे। प्रतिवादीगण सर्वे क० 8/1 की आड में वादी के सर्वे क० 7/1 की भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। प्रतिवादीगण को दिनांक 28.11.2014 को वादी के विरुद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ। प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिदावे का गलत मूल्यांकन कर कम न्यायालय शुल्क अदा किया है तथा वादी द्वारा सर्वे क० 7/1 रकबा 1.672 भूमि के संबंध में पेश किया है जबकि प्रतिवादी क० 1 लगायत 4 ने प्रतिदावा भूमि सर्वे क० 8/1 के संबंध में पेश किया है। अतः प्रतिदावा सब्यय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

**06—** प्रकरण में प्रतिवादी क. 8 म.प्र.शासन को तामीली के उपरांत अनुपस्थित रहने के परिणामस्वरूप उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

**07—** उभयपक्ष के अभिवचन व प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्नलिखित वादप्रश्नों की विरचना की गई जिनके निष्कर्ष विवेचना उपरान्त उनके सम्मुख अंकित किये गये :—

1.	क्या वादी ग्राम कटाखेडा तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्र० 7/1 रकबा 1.672 हेक्टेयर जिसे वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में लाल स्याही से दर्शाया गया है, के स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है ?	स्वत्व प्रमाणित नहीं, आधिपत्य प्रमाणित
2	क्या प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 4 ग्राम कटाखेडा, तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्र० 8/1 रकबा 1.610 हेक्टेयर भूमि के स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है ?	प्रमाणित नहीं
3	क्या प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 7 द्वारा वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि सर्वे क्रमांक 7/1 रकबा 1.672 हेक्टेयर भूमि पर अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है ?	प्रमाणित
4	क्या वादी भूमि सर्वे क्रमांक 7/1 की आड में प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 4 के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि सर्वे क्रमांक 8/1 रकबा 1.610 हेक्टेयर भूमि को कब्जा कर हड़पना चाहता है ?	प्रमाणित नहीं
5.	क्या प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 7 की ओर से प्रतिदावा का उचित रूप से मूल्यांकन कर उस पर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है ?	प्रमाणित
6.	सहायता एवं व्यय ?	दावा अंशतः डिकी, प्रतिदावा निरस्त

-----:://सकारण निष्कर्ष//::-----

**वाद प्रश्न क्र० 1 व 3 :-**

**08—** वाद प्रश्न क्र० 1 व 3 का निराकरण साक्ष्य एवं तथ्य की पुनरावृत्ति रोकने हेतु उनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है। वाद प्रश्न क्र० 1 व 3 को साबित करने का भार वादी पर है। संतोष सिंह वा०सा०1 ने उसके मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में बताया कि विवादग्रस्त भूमि स्थित ग्राम कटाखेडा सर्वे क्र० 7/01 रकबा लगभग 8 बीघा उसके मालिकाना हक की है जिसपर वह कृषि कार्य करता है। अजीत सिंह बगैरा जहां पर वादी की भूमि है उस भूमि को अपनी भूमि होना बताकर विवाद कर रहे हैं। वादी द्वारा उसके पक्ष समर्थन में सम्वत् 2050—54 का खसरा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी. 1, सम्वत् 2055—58 खसरा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.2, सम्वत् 2060—64 का खसरा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.3, सम्वत् 2065—69 का

खसरा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी. 4, सन् 2014-15 का खसरा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी. 5, विवादग्रस्त भूमि का अक्श की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.6, रिपोर्ट की कार्बन प्रति प्र.पी. 7, सीमांकन प्रतिवेदन प्र.पी 8, सीमांकन पंचनामा प्र.पी. 9, इलाज का पर्चा प्र.पी. 10 प्रस्तुत किया है।

**09—** प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 7 द्वारा सर्वे क्र० 7/1 रकबा 1.672 है० भूमि किसके स्वामित्व की है, प्रतिवादीगण को इसकी जानकारी नहीं है। खसरा सम्वत् 2050-54, खसरा सम्वत् 2055-58 प्र.पी.2, खसरा सम्वत् 2060-64 प्र.पी.3, खसरा सम्वत् 2065-69 प्र.पी.4, की प्रमाणित प्रतिलिपि में सर्वे नम्बर 7 रकबा 6.689 है० भूमि वादी सहित अन्य लोगो के नाम कब्जेदार के रूप में होना उल्लेखित है, इसके अलावा खसरा वर्ष 2014-15 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.5 के अनुसार सर्वे नम्बर 7/1 रकबा 1.673 है० भूमि वादी संतोष सिंह के नाम खसरा के कॉलम नम्बर 3 में कब्जेदार के रूप में होना उल्लेखित है तथा न्यायालय नायब तहसीलदार परगना चंदेरी के प्रकरण क्र० 2/ए-27/2009-10 के आदेश दिनांक 13.05.2010 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.11 में फर्द बटवारे में सर्वे नम्बर 7/1 रकबा 1.672 लगान 2.00 वादी संतोष सिंह के नाम फर्द बटांकन स्वीकार किया जाना दर्शित है।

**10— मूलशंकर बनाम स्टेट ऑफ गुजरात ए.आई.आर 1994 एससी पेज 1496** में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजस्व संबंधी दस्तावेजो को स्वत्व संबंधी प्रलेख नहीं माना है। **विष्णुशरण व अन्य बनाम अयोध्या बाई 2003 म०प्र० लॉ जनरल पेज 25** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिमत प्रकट किया गया है कि वादी को ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करके अपना हक साबित करना होगा। खसरा प्रविष्टियों से केवल उसकी यर्थाता का उपधारणात्म मूल है तथा खसरा प्रविष्टियों के आधार पर हक उपधारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह संपोषक साक्ष्य है। भले ही प्रतिवादीगण अपनी प्रतिरक्षा प्रमाणित करने में सफल नहीं हुए हैं किन्तु सर्वमान्य सिद्धांत है कि प्रतिवादी की किसी दुर्बलता के आधार पर वादी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वादी को स्वयं अपने बल पर दावा प्रमाणित होता है। वादी संतोष सिंह द्वारा उसके प्रतिपरीक्षण के पैरा 5 में व्यक्त किया कि वादग्रस्त भूमि उसके पिता बाबूसिंह ने खरीदी थी जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उक्त वादग्रस्त भूमि जो पिता द्वारा क्रय की गई थी उसकी रजिस्ट्री उसके पास है किन्तु उसके द्वारा उक्त रजिस्ट्री को प्रकरण में पेश नहीं किया है। यदि वादग्रस्त भूमि वादी के पिता बाबू सिंह द्वारा खरीदी गई थी तो उक्त वादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किये जाने का कोई कारण वादी द्वारा व्यक्त नहीं किया गया है तथा वादग्रस्त भूमि वादी के पिता द्वारा क्रय किये जाने के संबंध में भी दावे में कोई अभिवचन नहीं किया गया है। उपर किये गये विषलेषण के आधार पर केवल खसरा आदि राजस्व दस्तावेजो में वादी का नाम कब्जेदार के रूप में वादग्रस्त भूमि पर होने से वादी का वादग्रस्त भूमि पर स्वामित्व होना प्रमाणित नहीं है।

**11—** अब प्रश्न यह है कि क्या वादी का वादग्रस्त भूमि पर आधिपत्य है, इस संबंध में वादी की ओर से जो राजस्व संबंधी खसरे एवं फर्द बटवारा आदेश प्रस्तुत किया है उसमें सर्वे क्र० 7/1 रकबा 1.673 की भूमि पर वादी संतोष सिंह का कब्जा होना उल्लेखित है, परन्तु वादी संतोष सिंह द्वारा उसके प्रतिपरीक्षण के पैरा 10 में बताया कि यह बात सही है कि प्रतिवादीगण ने उसकी सर्वे नम्बर 7 की करीब 4-5 बीघा भूमि पर नप्ती के समय ही कब्जा कर लिया था। उक्त कब्जा करने वाली बात वादी द्वारा उनके बकील साहब को भी बता दी थी। प्रथमतः वादी द्वारा उसके दावे के अभिवचनों में इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं है कि प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 7 द्वारा वादग्रस्त भूमि के 4-5 बीघा भाग पर कब्जा कर लिया है, इसके अलावा वादी द्वारा उसके मुख्य परीक्षण में भी प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कब्जा किये जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। वादी द्वारा उसकी साक्ष्य में यह भी नहीं बताया कि प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के किस दिशा में और किस भाग पर कब्जा किया है। ऐसी स्थिति में केवल वादी द्वारा प्रतिपरीक्षण में प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किये जाने वाली बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभिवचन नहीं तो साक्ष्य भी नहीं। वादी द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कब्जा किये जाने के संबंध में कोई अभिवचन नहीं किया है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं मौखिक साक्ष्य से वादग्रस्त भूमि सर्वे क्र० 7/1 रकबा 1.673 पर वादी संतोष सिंह का कब्जा होना प्रथम दृष्टया दर्शित है। अतः वाद प्रश्न क्र० 1 के स्वामित्व के संबंध में **प्रमाणित नहीं** व जबकि आधिपत्य के संबंध में **प्रमाणित है**।

**12—** उपरोक्तानुसार किये गये विश्लेषण के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर वादी का स्वामित्व प्रमाणित नहीं हुआ, किन्तु वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य होना प्रमाणित है, वादी का अभिवचन है कि प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 7 वादी के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि में अवैध रूप से हस्तक्षेप कर रहे हैं और उसे व उसके परिवार वालों को फसल काटने एवं भूमि पर कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं और उसे खेती नहीं करने दे रहे हैं। इस संबंध में वादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट की कार्बन प्रति प्र. पी.7 एवं रोगी कल्याण समिति का पर्चा प्र.पी. 10 प्रस्तुत किया है। भगवान सिंह वा०सा०2 ने भी प्रतिपरीक्षण के पैरा 5 में यह बताया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य करीब 4 साल से झगडा हो रहा है और जिस समय वादी व प्रतिवादीगण के मध्य झगडा हो रहा था उस समय वह वहां पर मौजूद था। सीताराम प्र०सा०1 ने भी उसके प्रतिपरीक्षण के पैरा 7 में बताया कि उसके सामने मौके पर संतोष सिंह व अजीत सिंह के बीच कोई झगडा नहीं हुआ लेकिन, उसे इस बात की जानकारी है कि जमीन का विवाद चल रहा है और मन मुटाव चल रहा है, इसके अलावा प्रतिवादी क्र० 2 जीवन सिंह प्र०सा०2 ने भी प्रतिपरीक्षण के पैरा 8 में इस बात को स्वीकार किया है कि संतोष सिंह की रिपोर्ट पर से उसके उपर वर्तमान में केस चल रहा है। वादी की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.7 के अवलोकन से वादी संतोष सिंह द्वारा जयपाल, जीवन सिंह, शिशुपाल, भैयन यादव के विरुद्ध थाने में

रिपोर्ट लेख कराई है। इन परिस्थितियों में यह प्रमाणित होता है कि प्रतिवादीगण वादी के आधिपत्य की वादग्रस्त भूमि पर हस्तक्षेप करने हेतु प्रयासरत है, अतः वाद प्रश्न क्र० 3 का निराकरण **प्रमाणित** के रूप में किया जाता है।

**वाद प्रश्न क्र० 2 व 4 :-**

**13—** वाद प्रश्न क्र० 2 व 4 का निराकरण साक्ष्य एवं तथ्य की पुनरावृत्ति रोकने हेतु उनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है। प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 7 की ओर से प्रस्तुत प्रति दावे में मुख्य अभिवचन है कि ग्राम कटाखेडा तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्र० 8/1 रकबा 1.610 है० भूमि प्रतिवादीगण के स्वत्व एवं आधिपत्य की है, जिसके संबंध में वादी द्वारा व्यक्त किया कि उक्त भूमि से वादी को कोई संबंध नहीं है। प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 7 द्वारा सर्वे क्र० 8/1 रकबा 1.610 है० भूमि के संबंध में किस्तबंदी खतौनी वर्ष 2013-14, 2017-18, खसरा वर्ष 2017-18, खतौनी वर्ष 2017-18 एवं खसरा वर्ष 2017-18 की प्रमाणित प्रतिलिपि क्रमशः प्र.डी. 1 लगायत 6 प्रस्तुत की है। जीवन सिंह प्र०सा०2 द्वारा उसके प्रतिपरीक्षण के पैरा 6 में बताया कि सर्वे नम्बर 8 की भूमि उसके द्वारा किसी सिंघई नामक बनिये से जोकि मुंगावली का रहने वाला है से 21,000/- रुपये बीघा के हिसाब से 25 बीघा में 10 विश्वा कम भूमि खरीदी थी। उक्त साक्षी ने आगे प्रतिपरीक्षण में बताया कि वह नहीं बता सकता कि उसने जमीन कितने साल पहले खरीदी थी। उक्त साक्षी का कहना है कि उसने रजिस्ट्री प्रकरण में पेश नहीं की क्योंकि उससे किसी ने रजिस्ट्री मांगी नहीं थी। जीवन सिंह प्र०सा०2 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 7 में बताया कि रजिस्ट्री उसके पास घर पर नहीं है क्योंकि रजिस्ट्री खो गई है निकलवाकर पेश कर देगे।

**14—** प्रतिवादीगण का मुख्य अभिवचन है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे क्र० 8/1 रकबा 1.610 है० भूमि प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 4 के स्वत्व स्वामित्व व आधिपत्य की है जिसे प्रतिवादीगण ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर क़य किया था, किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा सर्वे क्र० 8/1 रकबा 1.610 है० भूमि के संबंध में उक्त विक्रय पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। स्वयं प्रतिवादी जीवन सिंह प्र०सा०2 द्वारा उसके प्रतिपरीक्षण के पैरा 7 में बताया कि उक्त भूमि की रजिस्ट्री उसके द्वारा प्रकरण में पेश नहीं की है। **भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 91 के अनुसार**, जबकि किसी संविदा के या अनुदान के या संपत्ति के किसी अन्य व्ययन के निबंधन दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध कर लिये गये हो तब, उन सब दशाओं में, जिनमें विधि द्वारा अपेक्षित है कि कोई बात दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध की जाये, ऐसे संविदा, अनुदान या सम्पत्ति के अन्य व्ययन के निबंधनो के या ऐसा वाद के साबित किये जाने के स्वयं उस दस्तावेज के सिवाय, या उन दशाओं में जिनमें एतस्मिपूर्व अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन द्वितीय साक्ष्य ग्राह्य है उनकी अंतवस्तु के द्वितीय साक्ष्य के सिवाय, कोई भी साक्ष्य नहीं दी जायेगी। प्रतिवादीगण का अभिवचन है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे क्र० 8/1 रकबा 1.610 है० को किसी सिंघई नामक व्यक्ति से

क्रय किया गया था। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त विक्रय पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है जो कि प्रतिवादीगण के अनुसार हुआ है, परन्तु यदि उक्त दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं है तो उक्त दस्तावेज के माध्यम से हुये समव्यवहार के संबंध में मौखिक साक्ष्य ग्राह्य नहीं की जा सकती है।

**15—** प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 7 द्वारा सर्वे क्र० 8/1 रकबा 1.610 है० भूमि के संबंध में किस्तबंदी खतौनी वर्ष 2013-14, 2017-18, खसरा वर्ष 2017-18, खतौनी वर्ष 2017-18 एवं खसरा वर्ष 2017-18 की प्रमाणित प्रतिलिपि क्रमशः प्र.डी. 1 लगायत 6 प्रस्तुत की है। उक्त दस्तावेजों में से किस्तबंदी खतौनी प्र.डी.1 में सर्वे क्र० 8/1 रकबा 1.610 है० भूमि अजीत सिंह जीवन सिंह, दयाराम, शिशुपाल पुत्रगण शिवराज सिंह यादव के नाम दर्ज होना उल्लेखित है, इसके अलावा प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्र.डी. 2 लगायत 6 के दस्तावेज सर्वे क्र० 8/1 से संबंधित न होने से उक्त दस्तावेजों से प्रतिवादीगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। **मूलशंकर बनाम स्टेट ऑफ गुजरात ए.आई.आर 1994 एससी पेज 1496** में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजस्व संबंधी दस्तावेजों को स्वत्व संबंधी प्रलेख नहीं माना है।

**16—** इस प्रकार उपरोक्तानुसार किये गये विशलेषण के आधार पर केवल खतौनी में प्रविष्टि के आधार पर प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 4 को सर्वे नम्बर 8/1 रकबा 1.610 है० भूमि का स्वामी घोषित नहीं किया जा सकता। प्रतिवादी जीवन सिंह द्वारा उसके प्रतिपरीक्षण के पैरा 7 में बताया कि उसके द्वारा भूमि लगभग 23 साल पहले क्रय की थी। परन्तु प्रतिवादी द्वारा प्रकरण में केवल वर्ष 2013-14 किस्तबंदी प्र.डी.1 पेश की है। विधि का यह सुस्थापित नियम है कि आधिपत्य प्रमाणित करने के लिये निरंतर आधिपत्य होना चाहिए यदि प्रतिवादीगण उक्त विवादग्रस्त भूमि पर 23 वर्षों से काबिज है तो प्रतिवादीगण को अपना आधिपत्य स्थापित प्रमाणित करने के लिये निरंतर आधिपत्य उक्त विवादग्रस्त भूमि पर होने के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिए थे जो प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इस प्रकार वाद प्रश्न क्र० 2 के संबंध में यह प्रमाणित नहीं है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे नम्बर 8/1, रकबा 1.610 है० भूमि का प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 4 स्वत्वधारी है, एवं न ही यह प्रमाणित है कि उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 4 का आधिपत्य है। तथा वाद प्रश्न क्र० 2 का निराकरण **प्रमाणित नहीं** के रूप में किया जाता है। जहां कि प्रतिवादीगण सर्वे क्र० 8/1 रकबा 1.610 है० भूमि का अपना स्वामित्व व आधिपत्य प्रमाणित करने में असफल रहे हैं वहां यह नहीं माना जा सकता कि वादी भूमि सर्वे क्र० 7/1 की आड में प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 4 के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि सर्वे क्र० 8/1 रकबा 1.610 है० भूमि को कब्जा कर हड़पना चाहते हैं। अतः वाद प्रश्न क्र० 4 का निराकरण भी **प्रमाणित नहीं** के रूप में किया जाता है।

**वाद प्रश्न क्र० 5:—**



**17—** वादी द्वारा प्रतिदावे के जबाब में यह अभिवचन किया है कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिदावे का गलत मूल्यांकन कर कम न्यायालय शुल्क अदा किया है। परन्तु इस संबंध में उभयपक्ष की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रतिवादी क्र० 1 लगातय 7 द्वारा वर्तमान प्रतिदावा स्वत्व घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया है तथा प्रतिदावे का मूल्यांकन 1000/- रुपये कायम किया जाकर स्वतत्त्व घोषणा हेतु न्यायालय शुल्क 500/- किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा मूलतः उक्तानुसार मूल्यांकन कर न्यायालय शुल्क अदा किया गया है जो उचित है। अतः यह प्रमाणित पाया जाता है कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिदावे का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायालय शुल्क अदा किया गया है। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 5 का निराकरण **प्रमाणित** के रूप में किया जाता है।

**वादप्रश्न क्र० 6:—**

**सहायता एवं व्यय**

**18—** उपरोक्तानुसार किये गये विधिगत एवं तथ्यगत विश्लेषण के उपरान्त अभिप्राप्त निष्कर्ष के आधार पर प्रतिवादीगण अपना प्रतिदावा प्रमाणित करने के असफल रहे हैं। किन्तु वादी अंशतः वाद प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः वादी का दावा अंशतः स्वीकार कर निम्न आशय की डिक्री पारित की जाती है।

1. प्रतिवादी क्र० 1 लगातय 7 का प्रतिदावा प्रमाणित न होने से निरस्त किया जाता है।
2. यह घोषित किया जाता है कि विवादग्रस्त भूमि सर्वे क्र० 7/1 रकबा 1.672 है० भूमि जिसे वाद पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में लाल स्याही से दर्शाया गया है का वादी आधिपत्यधारी है।
3. प्रतिवादी क्र० 1 लगातय 7 को वादी के आधिपत्य की उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में स्थायी निषेधाज्ञा के माध्यम से हस्तक्षेप करने से स्थायी रूप से निषेधित किया जाता है।

**19—** प्रकरण की परिस्थितियों में उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय वहन करेंगे।

**20—** अभिभाषक शुल्क की राशि भुगतान के प्रमाणीकरण के आदेश नियत 523 म०प्र० सिविल न्यायालय नियमानुसार संगणित की जावे या जो वास्तविक भुगतान किया गया हो या जो न्यून हो व्यय में जोड़ा जावे।

तदनुसार आज्ञाप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

**case no. 57A/2016**  
**Filing no- 235103005362014**